पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–4685 वि0 (2) दिनांक–25.06.2003 तथा अधिसूचना सं0–1802 दिनांक–23.03.2006 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली' 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) संशोधन नियमावली' 2006, वित्त विभाग के संकल्प सं0–7566, दिनांक–14.07.2010, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या–6068, दिनांक–13.06.2013 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–9071/2014 से उत्पन्न एम0जे0सी0 संख्या–3361/2017 में दिनांक–27.06.2018 को पारित न्यायादेश एवं सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1978 (नि0), दिनांक–27.06.2018 के अनुपालन में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक–04.07.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–2035 (नि0) दिनांक–04.07.2018 से निर्गत है) के आधार पर बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय के अधीन सांख्यिकी संवग/पद के विरूद्ध नियुक्त निम्नांकित कुल–01 (एक) कर्मी को उनके नाम के सामने स्तम्भ– 6 एवं 7 में अंकित तिथि के प्रभाव से क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ः–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	द्वितीय ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अहद रजा, सांख्यिकी गणक, जिला पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ।	09.02.1954 28.02.2014	डेयरी 18.05.1975 अपराहन/ पशुपालन अन्तर्गत 19.03.1986 को गणक के पद पर	प्रोन्नत सांख्यिकी गणक 07.03.1990	विभागीय पत्रांक–690 (नि0), दिनांक–10.03.2015 द्वारा स्वीकृत द्वितीय ए0सी0पी0 19.03.2010 वेतनमान 5000–8000 के जगह पर 09.08.1999 से 5000–8000 में संशोधित	01.01.2009 ग्रेड वेतन–4600	

2– वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 1802 दिनांक 23.03.06 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त कर्मी का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i) एवं सुसंगत प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

6.7.18

3– उपरोक्त कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमान्यता को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप अनुमान्यता से अधिक प्राप्त किसी भी वित्तीय लाभ की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

4– यह आदेश ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक–04.07.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–2035 (नि0) दिनांक–04.07.2018 से निर्गत है) के आधार पर निर्गत की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त बैठक में पशुपालन निदेशालय में गठित ए0सी0पी0 कोषांग द्वारा संबंधित कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर समीक्षोपरांत उपस्थापित किये गये विवरणी के आधार पर निर्णय/अनुशंसा की गई है।

5– निदेश दिया जाता है कि संबंधित कार्यालय प्रधान अपने स्तर से संबंधित कर्मी को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराते हुये इनकी सेवा पुस्त में इस आदेश की प्रवृष्टि निश्चित रूप से दर्ज करेंगे।

6– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 (सी0) डी0 14506/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम प्रभाकर मिश्रा एवं अन्य में पारित न्यायादेश के फलाफल से स्वीकृत की गई ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रभावित होगा। अधिक ली गयी राशि की वसूली उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन से कर ली जायेगी।

7– संबंधित कर्मी को स्वीकृत किया गया ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 अन्य कर्मियों के लिए सोदाहरण नहीं माना जायेगा।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाये।

ह0/–
(विनोद सिंह गुंजियाल)
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 7 स्था0 (7) विविध–15/2015 2075 (नि0) दिनांक– 06/07/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर महाधिवक्ता संख्या–12, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के सभी सदस्यों/पशुपालन निदेशालय के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07 एवं 11/आई0टी0 मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

6.7.18
निदेशक, पशुपालन।

08
06/07/18